2144

जिलाधिकारी
20 SEP 2021
देहरादून

संख्याः– /XVII–2/21–01(32)/2019

प्रेषक,

एल.फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

2–निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 01 अगस्त, 2021

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना में आवेदक की आय सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृति करने तक की समस्त प्रक्रियाओं का ऑन लाईन करने के साथ ही इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/XVIII/XXI/2021-सी.एक्स. दिनांक 18.08.2021 के क्रम में उक्तांकित शासनादेश दिनांक 23.05.2016 के प्रस्तर संख्या–1 के बिन्दु संख्या–9 में **"शादी अनुदान हेतु अर्हता"** शीर्षक के **बिन्दु संख्या–II** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान अर्हता	**संशोधित अर्हता**
(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पात्रता बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹15000/– (₹1250/मासिक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(II) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पात्रता बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी आय ₹4000/–मासिक अथवा ₹48000/–वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2–शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3–यह आदेश वित्त विभाग(अनुभाग–3) के अशासकीय पत्र संख्या–62(म0)/XXVII(3)/2019 दिनांक 27 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

संख्याः– 1045 /XVII–2/21–01(32)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2–सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4–वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5–सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6–सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
7–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8–आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक, स0क0)
11–समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।
12–गार्ड फाईल।

1/ 31/8/21

(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव